—:: न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::—

बईजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मिसल न0

बउनवान

सीताराम उम्र 45वर्ष पुत्र माताभूलीबाई पिता किशोर जाति माली निवासीग्राम सूण्डक्या हाल निवासी खजूरना कलॉ तहसील अन्ता जिला बारां राजस्थान।

—प्रार्थी—

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। —अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थी की ओर से:— श्री दशरथ सिंह एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से :— पैरोकार सरकार

—:: आदेश ::— दिनांकः— 11/02/2023

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम सूण्डक्या पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 61के खसरा न0 28 की 0.11हेक्टर, खसरा न029 की 0.12हेक्टर, खसरा न0 296की 0.91हेक्टर, खसरा न0 297 की 0.99हेक्टर, खसरा न0 298 की 0.07 हेक्टर, खसरा न0 299 की 0.27 हेक्टर, खसरा न0 300 की 0.41 हेक्टर, खसरा न0301 की 0.41हेक्टर, खसरा न0 59 की 0.04 हेक्टर, खसरा न060 की 0.10 हेक्टर कुल 10 किता की 3.43हेक्टर व खाता स0नई 93 के खसरान0 170 की 0.90हेक्टर, खसरा न0171 की 0.92हेक्टर, खसरा न0173 की 0.86हेक्टर, कुल 3 किता की 2.68हेक्टर आराजी व खाता स0 नइ 92 के खसरा न0 58 की 1.45हेक्टर आराजीयात स्थित है। जो नकल जमाबन्दी सम्वत 2074से 2077 अनुसार दर्ज है। उक्त आराजीयात मे प्रार्थी का नाम रामनाथी पुत्री सीताराम गलत रूपसे नाम दर्ज कर दिया है। उक्त आराजीयात के पुराने राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2066से 2069 के अनुसार माल ग्राम सूण्डक्या के खाता स0 नइ 26 की 18 किता की कुल 7.72हेक्टर आराजी दर्ज रही है, जिसमे प्रार्थीनी का सही नाम सीताराम माता भूलीबाई दर्ज हो रहा है। जिसकी पुष्टि इन्तकाल न0 67 दिनांक 4.2.2011 से होती है, प्रार्थना पत्र की मद न01 मे वर्णित आराजीयात मे निहित प्रार्थी के हिस्से को प्रार्थी मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है,

2...

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

तथा वर्तमान मे भी प्रार्थी ने फसल बो रखी है। प्रार्थी के प्रधानमंत्री कृषक योजना के तहत राशि नही आने के कारण प्रार्थी के द्वारा उसका पता लगाने के लिए प्रार्थी ने आज से एक माह पूर्व अपनी उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की, तो प्रार्थी की जानकारी मे आया, कि उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के वास्तविक नाम के स्थान पर गलत रूपसे रामनाथी पुत्री सीताराम नाम दर्ज हो रहा है, उक्त नाम राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से गलत दर्ज किया है,। उक्त आराजीयात के पुराने राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2066से 2069 के अनुसार माल ग्राम सूण्डक्या के खाता सं0 नम्बर 26 की 18 किता की कुल 7.72हेक्टर आराजी दर्ज रही है, जिसमे प्रार्थीनी का सही नाम सीताराम माता भूलीबाई दर्ज हो रहा है। जिसकी पुष्टि इन्तकाल न0 67 दिनांक 4.2.2011 से होती है। ऐसी स्थिति मे उक्त गलत नाम रामनाथी पुत्री सीताराम को दुरस्त किया जाकर सीताराम माता भूलीबाई नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे दुरस्ती की जाना आवश्यक है ।प्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड मे हुई गलती को दुरस्त करने के लिए पटवारी हल्का महोदय से निवेदन किया, तो पटवारी हल्का महोदय द्वारा राजस्व रेकार्ड मे गलत नाम को दुरस्त करने से मना कर दिया, तथा न्यायालय से आदेश लाने की कहकर उक्त दुरस्त करने से मना कर दिया है। उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड मे गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी को किसान केडिट कार्ड, तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने से भी वंचित होना पड रहा है, साथ ही प्रार्थी अपनी आराजी का विकास कार्य भी नही करवा पा रहा है, और भविष्य मे भी उक्त गलत नाम होने के कारण व्यर्थ की वादकारिता बढने की संभावना हो जावेगी ।जिससे प्रार्थी को काफी अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य मे नही हो सकेगी। ऐसी स्थिति मे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके राजस्व रेकार्ड मे दर्ज गलत नाम रामनाथी पुत्री सीताराम को दुरस्त करवाकर पूर्व के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज सही नाम सीताराम माता भूलीबाई दर्ज करवाकर राजस्व रेकार्ड मे दुरस्ती करवाना आवश्यक हुआ है, जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे अवधि मध्य उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा अप्रार्थी की तलबी की गई, जिसमे अप्रार्थी उपस्थित हुए, लेकिन राजहित प्रभावित नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की सहमति प्रदान की, पत्रावली बहस प्रार्थी मे रखी गई, तथा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराया गया।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, तथा पत्रावली पर विद्यमान तथ्यो व संलग्न दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन करने मे उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है, तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
[illegible], जिला- कोटा

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम सूण्डक्या पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 61 के खसरा न0 28 की 0.11हेक्टर, खसरा न029 की 0.12 हेक्टर, खसरा न0 296की 0.91 हेक्टर, खसरा न0 297 की 0.99हेक्टर, खसरा न0 298 की 0.07हेक्टर, खसरा न0 299 की 0.27 हेक्टर, खसरा न0 300 की 0.41 हेक्टर, खसरा न0301 की 0.41हेक्टर, खसरा न0 59 की 0.04 हेक्टर, खसरा न0 60 की 0.10 हेक्टर कुल 10 किता की 3.43हेक्टर व खाता स0 नई 93 के खसरा न0 170 की 0.90हेक्टर, खसरा न0171 की 0.92हेक्टर, खसरा न0173 की 0.86 हेक्टर, कुल 3 किता की 2.68हेक्टर आराजी व खाता स0 नइ 92 के खसरान0 58 की 1.45हेक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज गलत नाम रामनाथी पुत्री सीताराम को दुरस्त किया जाकर सही नाम सीताराम माता भूलीबाई दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 11/02/2023 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
आर. ए. एस.
सांगोद, जिला- कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद